रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2015/भाद्र 03, 1937
No. 527] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2015/BHADRA 03, 1937

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 654(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श के बिना नियम बनाना आवश्यक हो गया है, और कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी गई है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हैं पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

यदि पूर्वोक्त पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से उस प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होते हैं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियमों की बाबत आक्षेप या सुझाव संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किए जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 6 में,-

(क) उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3ख) अधिनियम की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा श्रेणीकृत देशी विनिर्माण सूत्रीकरण की श्रेणी के अधीन आने वाले कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन केवल इलैक्ट्रानिक रूप में ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा ।";

(ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) खंड (3ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्ररूप 2 में इलैक्ट्रानिक रूप में ऑनलाइन जारी किया जाएगा और वह ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की गई हैं ।" ।

[फा. सं.13028/02/2015-पीपी-1]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976
2. सा.का.नि. 436(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999
7. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2007
8. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006
9. सा.का.नि. 128(अ), 26 फरवरी, 2009
10. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010
11. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013, और
12. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवबंर, 2014

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

G.S.R. 654(E).—The Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make the rules without consulting with the Central Insecticides Board; and the following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby;

and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the draft rules before the expiry of the period of forty-five days aforesaid shall be considered by the Central Government.

Objections and suggestions in respect to the draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

(1) These rule may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

In the Insecticides Rules, 1971, in rule 6 -

(a) after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3B) An application for registration of an insecticide falling under the category of Formulation Indigenous Manufacture as categorized by the Registration Committee under section 5 of the Act shall only be accepted in electronic form online." ;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(4A) The Certificate of Registration under clause 3B shall be issued in electronic form online in Form II and shall be subject to such conditions as specified therein." .

[F. No. 13028/02/2015-PP-I]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650(E), dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E),dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
11. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013, and
12. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.